

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/691

दिनांक :- 27.03.2018

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.सं.	लिंक न.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	परीक्षा का नाम व आयोजक संस्था
1	2	3	4	5
1.	12956	प्रीती गोस्वामी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसंमद	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से एम. ए. प्रीवियस (हिन्दी) (स्वयंपाठी)
2.	10400	रजनीश शर्मा	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन.स्वा.अभि.वि. परियोजना खण्ड प्रथम, बासवाड़ा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से बी. कॉम. (स्वयंपाठी)
3.	11065	रामचन्द्र गोदारा	कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोखा बीकानेर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से एम.ए. (भुगोल) (स्वयंपाठी)
4.	12504	प्रदीप कुमार	उपकोषालय, (पेंशन) अजमेर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से एम. कॉम. (फाईनल) (स्वयंपाठी)
5.	10678	प्रशान्त भारद्वाज	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से एम. कॉम. (प्रीवियस) (स्वयंपाठी)
6.	10016	राजकुमार पारीक	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक (सर्वशिक्षा अभियान) भदेसर	दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर से एम. कॉम (स्वयंपाठी)
7.	12740	रामराज मीना	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बून्दी	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से एम.ए. (स्वयंपाठी)
8.	10923	दलीप सिंह	अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से एम. एएससी. (प्रीवियस) मेथ्स
9.	11407	रेखा सिंधव	कार्यालय जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय से एम. कॉम, प्रीवियस (ईएफएम)
10.	12927	रामनिवास बिश्नोई	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से एम. ए. पूर्वाह्न (राजनीति विज्ञान)
11.	10584	देव कृष्ण अहारी	नगर निगम उदयपुर	एम.ए. फाईनल (अंग्रेजी साहित्य)
12.	11492	प्रिया जैन	उपकोषाधिकारी हिण्डोली, बून्दी	कोटा विश्वविद्यालय से एम.ए. (प्रीवियस) अर्थशास्त्र

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में परीक्षा में उपस्थित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.सं.	लिंक न.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	परीक्षा का नाम व आयोजक संस्था
1	2	3	4	5
1	10736	रविन्द्र कुमार मीना	उपकोष लक्ष्मणगढ़, अलवर	सीबीएसई द्वारा आयोजित यूजीसी नेट-2018
2	11407	रेखा सिन्धव	कार्यालय जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, कोटा	एम.पी.एस.सी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा-2017
3	12608	प्रकाश मीणा	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	केबीएस द्वारा आयोजित असिस्टेंट ग्रुप-बी परीक्षा-2017
4	11805	राकेश श्रीमाली	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन.स्वा.अभि.वि. परियोजना खण्ड प्रथम, जोधपुर	राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2017
5	11815	देवेन्द्र	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन.स्वा.अभि.वि. परियोजना खण्ड तृतीय, जोधपुर	यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2018
6	12294	रामजीलाल मीना	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा-2018 एवं मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा
7	10948	रवि कुमार	सामु.स्वा.केन्द्र कोटडी जिला भिलवाड़ा	भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा (आईसीएस)-2018

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/691

दिनांक :- 27.03.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 4 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। (शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)